मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०२१

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२१

विषय-वस्तु

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ७ का संशोधन.

३. धारा १६ का संशोधन.

४. धारा ३५ का संशोधन.

५. धारा ४४ का स्थापन.

६. धारा ५० का संशोधन.

७. धारा ७४ का संशोधन.

८. धारा ७५ का संशोधन.

९. धारा ८३ का संशोधन.

१०. धारा १०७ का संशोधन.

११. धारा १२९ का संशोधन.

१२. धारा १३० का संशोधन.

१३. धारा १५१ का स्थापन.

१४. धारा १५२ का संशोधन.

१५. अनुसूची २ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०२१

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२१.

(२) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए और १ जुलाई, २०१७ से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) किसी व्यक्ति से भिन्न, अन्य व्यक्ति द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, उसके सदस्यों या घटकों या इसके विपरीत क्रम में कोई क्रियाकलाप या हस्तांतरण.

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो अलग-अलग व्यक्ति समझा जाएगा और उनके मध्य परस्पर गतिविधियां या संव्यवहार का प्रदाय ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य होना समझा जाएगा.

धारा १६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (२) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(कक) आपूर्तिकर्ता द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट इनवॉइस या डेबिट नोट का विवरण आउटवर्ड आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विवरण ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को धारा ३७ के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में, सूचित किए गए हैं.".

धारा ३५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (५) का लोप किया जाए.

धारा ४४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"४४. इनपुट सेवा वितरक, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणियों में घोषित प्रदायों के मूल्य का संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलान करते हुए, एक स्वसत्यापित समाधान विवरण सम्मिलित है:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, किसी वर्ग या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट दे सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग पर लागू नहीं होगी, जिनकी लेखा बहियां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन हैं.''.

धारा ५० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५० में, उप-धारा (१) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा ३९ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर देय होगा जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित कर किया जाता है.''.

धारा ७४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ७४ में, स्पष्टीकरण १ में, खण्ड (दो) में, शब्द और अंक ''धारा १२२, १२५, १२९ और १३० के स्थान पर, शब्द और अंक ''धारा १२२ और १२५'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७५ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ७५ में, उपधारा (१२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, पद ''स्वत: निर्धारित कर'' में धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में देय कर सम्मिलित है किन्तु धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में सम्मलित नहीं है.''.

धारा ८३ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ८३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) जहां, अध्याय १२, अध्याय १४ या अध्याय १५ के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने के पश्चात्, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति या धारा १२२ की उपधारा (१क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, कुर्क कर सकेगा.''.

धारा १०७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १०७ में, उपधारा (६) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु यह कि धारा १२९ की उपधारा (३) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता.''.

११. मूल अधिनियम की धारा १२९ में,— धारा १२९ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(क) ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर, और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत अथवा ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर शास्ति के संदाय पर, और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;";

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात्, उपधारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिवस की कालावधि के भीतर आदेश पारित करेगा.";

(चार) उपधारा (४) में, शब्द "कर, ब्याज या शास्ति" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किया जाए;

(पांच) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(६) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी, उपधारा (३) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, उपधारा (१) के अधीन रकम या शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, इस प्रकार अभिरक्षित या अभिग्रहीत माल या प्रवहण उपधारा (३) के अधीन देय शास्ति वसूल करने के लिए, ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, विक्रय या अन्यथा व्ययन का दायी होगा:

परन्तु प्रवहण, उपधारा (३) के अधीन शास्ति अथवा एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का परिवाहक द्वारा संदाय किए जाने पर मुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त पंद्रह दिवस की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी.

धारा १३० का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा १३० में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि" के स्थान पर, शब्द "जहां" स्थापित किया जाए;

(दो) उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा १२९ की उपधारा (१) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर देय कर की सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) का लोप किया जाए.

धारा १५१ का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जानकारी मांगने की शक्ति.

"१५१. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम से संबंधित किसी मामले के संबंध में जानकारी, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकेगा.".

धारा १५२ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा १५२ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) धारा १५० या धारा १५१ के प्रयोजनों के लिए दिए गए किसी मामले के संबंध में सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित में पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति में प्रकाशित नहीं की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सके और ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएंगी.";

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, पैरा ७ का लोप किया जाए और १ जुलाई, २०१७ से विलोपित किया गया समझा जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदाय, इनपुट कर प्रत्यय, संपरीक्षा, वार्षिक विवरणी, ब्याज, शास्ति की कार्यवाहियां, स्वत: निर्धारित कर से संबंधित स्पष्टीकरण, अनंतिम कुर्की, अपील, चलित जांच के दौरान शास्ति, जब्ती, जानकारी मंगाया जाना, सूचना के प्रकटन का वर्जन से संबंधित मध्यप्रदेश माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के कतिपय उपबंधों और अनुसूची-२ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ अगस्त, २०२१.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों में प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्थापनाएं हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड क्रमांक १—अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को, विभिन्न तारीखों को अधिसूचना जारी कर लागू करने;

खण्ड क्रमांक ५—करदाताओं को ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण से मिलान करते हुए किसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर स्वप्रमाणित समाधान विवरण के साथ वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने;

खण्ड क्रमांक ९—सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए संपत्ति कुर्क किए जाने की रीति निहित किये जाने;

खण्ड क्रमांक ११ (पांच)—अभिरक्षित या अभिग्रहीत माल या प्रवहण संबंधी शास्ति की वसूली की समय-सीमा विहित किए जाने; तथा

खण्ड क्रमांक १३—किसी व्यक्ति को अधिनियम से संबंधित जानकारी दिए जाने की रीति एवं प्ररूप विहित किए जाने;

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) से उद्धरण

* * *

धारा-७ (७) प्रदाय की परिधि

(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदाय'' पद में निम्नालिखित सम्मिलित है-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं और;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ;

धारा १६(१)***

(२) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,-

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है.

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है-

(१) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यमसे या अन्यथा कार्य कर रहा हो ;

(२) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है.

(ग) धारा-४१ या धारा ४३क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा ३९ के विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरूद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय ब्याज के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा.

धारा ३५ (१) से (४)****

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकर द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा ४४ की उपधारा (२) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्रारूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए.

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रतृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन है.

* * *

धारा ४४ (१) इनपुट सेवा वितरक, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमत्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् ३१ दिसम्बर को या उसके पूर्व तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा.

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा ३५ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में, घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उपधारा (१) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा.

* * * * *

धारा ५०. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा.

परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा ३९ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उदग्रहित किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है.

(२) उपधारा (१) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी.

* * *

धारा ७४ स्पष्टीकरण १: इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) ''उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां'' में धारा १३२ के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा १२२, धारा १२५, धारा १२९ और धारा १३० के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण २ : इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''छिपाना'' पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा.

धारा-७५ की उपधारा (१) से (११)***

(१२) धारा-७३ या धारा-७४ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा-३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वत: निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णत: या भागत: असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा ७९ के उपबधों के अधीन वसूली की जाएगी.

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'स्वत निर्धारित कर' में धारा-३७ के अंतर्गत प्रस्तुतजावक प्रदाय के विवरण के संबंध में देय कर शामिल होगा, लेकिन धारा-३९ के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी शामिल नहीं है.

* * *

धारा-८३ . (१) जहां धारा-६२ या धारा-६३ या धारा-६४ या धारा-६७ या धारा-७३ या धारा-७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा.

(२) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (१) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा.

* * *

धारा-१०७ (१) से (५)***

(६) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील फाइल नही की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने-

(अ) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नही किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए, और

(ब) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम में दस प्रतिशत के बराबर राशि का (अधिकतम पच्चीस करोड रुपए के

* * * *

धारा-१२९. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है, सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और अभिवहन अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निमुक्त हो सकेगा-

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के १०० प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) ऐसे माल पर लागू कर के और उस पर संदत कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का ५० प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नही आता है.

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाए में खंड (क) या खण्ड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर:

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा.

(२) धारा-६७ की उपधारा (६) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रहवण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

(३) माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड के अधीन संदेय कर और शस्ति के लिए एक आदेश धारित करेगा.

(४) बिना संबंध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए कर, ब्यांज या शास्ति उपधारा- (३) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी.

(५) उपधारा- (१) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएगी.

(६) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा-(१) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के (चौदह दिन) में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा-१३० की शर्तो के अनुसार आंरभ की जाएंगी:

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में हास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी.

* * * *

धारा-१३०. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति-

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय य प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है: या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है: या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय : या

(iv) इस अधिनियम के किन्ही उपंबंधी या तद्दीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है : या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को डोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है.

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा-१२२ के अधीन शस्ति के लिए दायी होगा.

(२) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे; संदाय करने का विकल्प दे सकेगा:

परंतु यह कि ऐसा उद्‌गहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभारित कर से कम नहीं होगा.

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्‌गहणीय शास्ति धारा- १२९ की उपधारा (१) के अधीन उद्‌गहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या मालिक को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा.

(३) जहां उपधारा-२ के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल का प्रवहण की बावत शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा.

(४) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा.

(५) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा.

(६) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा.

(७) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों से अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनाधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा.

* * *

धारा-१५१. (१) आयुक्त, यह विचार करता है कि इसे दिया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, उससे संबंधित या इस अधिनियम के संबंध में किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा.

(२) ऐसी सूचना जारी करने पर आयुक्त या उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा.

धारा १५२

(१) धारा १५० या १५१ के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, बिना सहमति के अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति के यथाविनिर्दिष्ट पहचान किए गए ऐसी विवरणी को सक्षम बना सके और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी.

(२) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को धारा-१५१ में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उसकी पहुंच तक को अनुज्ञात करेगा.

(३) इस धारा की किसी बात का कराद्येय व्यक्ति वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछहनीय है.

* * *

अनुसूची-२

(७) निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्:

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.